कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश,भोपाल

Website:www.mp.gov.in/pwdmp e mail :pwdbhop@mp.nic.in

ज्ञापन क्र/401/सा/01/विविध/041/2018/547 दिनांक 26/05/2018

प्रति,

1.समस्त मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग
------ परिक्षेत्र ------

2.समस्त अधीक्षण यंत्री
लोक निर्माण विभाग
------ मंडल --

3.समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
संभाग ----------

विषयः— मध्यप्रदेश स्थित समस्त लोक भवनों के निरीक्षण के संबंध में।

--------00----------

उपरोक्त विषय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में यह आया है कि कतिपय स्थानों पर प्रदेश में स्थित लोक भवनों में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है।उपरोक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए लोक भवनों की सुरक्षा की दृष्टि से निर्देशित किया जाता है कि—

1. मध्यप्रदेश कार्य विभाग नियमावली भाग –1 की धारा–13 लोक भवनों का निरीक्षण पैरा 3.063 में दिये गए प्रावधान अनुसार प्रत्येक केलेण्डर वर्ष में कम से कम एक बार सभी भवनों एवं संरचनाओं का निरीक्षण विभागीय उपयंत्री/अनुविभागीय अधिकारी/एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाय।
2. कार्य विभाग नियमावली के पैरा 3.064 के अंतर्गत अधीक्षण यंत्री द्वारा खतरनाक घोषित भवनों का निरीक्षण अनिवार्यतः किया जाए।
3. संभागीय कार्यालयों में मैन्युल की धारा 14 पैरा 3.068 के तहत भवन रजिस्टर संधारित किया जाय।
4. पैरा 3.069 के अनुसार प्रत्येक वर्ष में 10 अगस्त तक लोक भवनों एवं ढांचों में पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान हुई वृद्धि अथवा परिवर्तन एवं भवन रजिस्टर में हुई शुद्धियों को दर्शाते हुए विवरण अनिवार्य रुप से प्रस्तुत किया जाय।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

सहपत्र— 0

प्रमुख अभियंता
लो0नि0वि0 म.प्र.भोपाल

पृष्ठा क्र/401/सा/01/विविध/041/2018/548 दिनांक 26/05/2018

प्रतिलिपीः—

1. प्रमुख सचिव,म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

सहपत्र— 0

प्रमुख अभियंता
लो0नि0वि0 म.प्र.भोपाल

(10)
VKy
28/05/18
21/5